भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*80
बुधवार, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण, 1940 (शक)

असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव

80. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार सृजन संबंधी आंकड़ों के रख-रखाव के लिए कोई सटीक तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कम-से-कम अब ऐसी शुरुआत क्यों नहीं की जानी चाहिए; और

(ग) क्या सरकार के समक्ष कुछ समुचित उपायों को शुरू करके असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के अंतर्गत लाने हेतु कोई ठोस योजना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री संभाजी छत्रपती द्वारा "असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव" के बारे में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *80 के दिनांक 25.07.2018 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रोजगार और बेरोजगारी के बारे में श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित करता है। ऐसा पिछला सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार-बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण भी आयोजित करता है और इसका अंतिम उपलब्ध परिणाम वर्ष 2015-16 के लिए है।

श्रम ब्यूरो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत रोजगार सृजन के प्राकलन के लिए सर्वेक्षण भी आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सर्वेक्षण एक उद्यम सर्वेक्षण है, जो विनिर्माण, सेवाएं, संबद्ध कृषि, व्यापार तथा कतिपय अन्य क्षेत्रों, जिन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सहायता दी गई है, के रूप में मोटे तौर पर श्रेणीकृत्त भिन्न-भिन्न क्षेत्र में बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए संचालित है।

श्रम बाजार में तेजी से आ रहे परिवर्तनों के आकलन की दृष्टि से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण आरंभ किया है। सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम बाजार के विभिन्न संकेतकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा समस्त भारत स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान के विभिन्न संकेतकों के त्रिमासिक परिवर्तनों को प्रदान करना है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। सरकार ने स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार, सेवाएं और कृषि से संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान करके स्व-रोजगार को सुकर बनाने हेतु मुद्रा योजना आरंभ की है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु 2016-17 में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत, सरकार सभी क्षेत्रों हेतु ईपीएस एवं ईपीएफ के लिए नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान सभी नए कर्मचारियों को 01.04.2018 से करेगी तथा यह नए कर्मचारियों के पंजीकरण की तिथि से अगले 3 वर्षों हेतु समस्त क्षेत्रों के लिए लागू है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर इससे नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगाराधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में कामगारों को ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त होगा। एक प्रत्यक्ष लाभ यह है कि इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच हो सकेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जिसमें 20 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं और जो या तो अधिनियम की अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग के रूप में कार्यरत कारखाना है अथवा एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिस पर केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को लागू किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 100

बुधवार, 18 जुलाई, 2018/ 27 आषाढ़, 1940 (शक)

पीपीपी प्रणाली के तहत ईएसआईसी और ईपीएफओ सेवाएं

100. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:
श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पचास करोड़ और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सेवाओं का विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 103

बुधवार, 18 जुलाई, 2018/ 27 आषाढ़, 1940 (शक)

ईपीएफ द्वारा शेयर और इक्विटी में निवेश

103. **डा. वी. मैत्रेयन**:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की धनराशि का निवेश विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों और विभिन्न निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों के शेयरों और इक्विटी के साथ-साथ कुल निजी क्षेत्र की कंपनियों के ब्ल्यू चिप शेयरों में किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शीर्ष 10 कंपनियों के ब्यौरे तथा इसमें कंपनी-वार कितनी-कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा ईपीएफ अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के और अधिक कर्मचारियों को ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का रुख़ क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) निफ्टी 50, सेन्सेक्स तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) तथा भारत 22 सूचियों के आधार पर विनिमय व्यापार निधियों (ईटीएफ) में निवेश कर रहा है। ईपीएफओ अलग-अलग कंपनियों के शेयरों और इक्विटी में निवेश नहीं करता है।

(ख): जून, 2018 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश की गई कुल राशि 48,946 करोड़ रुपये है।

(ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) ने 31.03.2015 को सम्पन्न अपनी 207वीं बैठक में केवल शेयर और संबंधित निवेशों के वर्ग में विनिमय व्यापार निधि (ईटीएफ) में निवेश करने का निर्णय लिया था।

(घ) और (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जो या तो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखाना हो या ऐसा प्रतिष्ठान हो जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया हो।

ईपीएफओ द्वारा 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 आरंभ किया गया था, जिसे 30.06.2017 तक आगे बढ़ाया गया था। अभियान के दौरान 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच किसी कारणवश गैर-नामांकित रहे कामगारों को नामांकित करने के लिए प्रतिष्ठानों को विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश की गई।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 116

बुधवार, 18 जुलाई, 2018/27 आषाढ़,1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि में आहरण प्रक्रिया में सुधार

116. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की आहरण प्रक्रिया के वर्तमान नियमों में कोई सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों की सुविधा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) की आहरण संबंधी प्रक्रिया को और सरल बनाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) 1952 का पैरा 69(2) किसी सदस्य को उसके द्वारा आवेदन करने की तिथि के तत्काल पूर्व दो माह की सतत अवधि में किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी न रहने पर निधि में उसके नाम से जमा पूरी राशि का आहरण करने के लिए समर्थ बनाता है। हालांकि, दो माह की प्रतीक्षा अवधि संबंधी अपेक्षा विवाह के प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठान की सेवाओं से त्यागपत्र देने वाली महिला सदस्यों के मामले में लागू नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तैयार की गई योजनाओं की समीक्षा एवं आशोधन एक सतत प्रक्रिया है जो बदलते समाजार्थिक परिदृश्य पर आधारित होती है।

(ग) और (घ): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने दिनांक 26.06.2018 को आयोजित अपनी 222वीं बैठक में ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 जज के अंत:स्थापन संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है, जिससे कोई सदस्य सतत रुप से एक माह की अवधि के लिए बेरोजगार रहने पर अपने खाते में जमा कुल निधि का 75% आहरण कर सकेगा।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 151

बुधवार, 1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940(शक)

कर्मचारी पेंशन योजना - 95 के अधीन पेंशन दिया जाना

***151. श्री रिपुन बोरा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में वर्षानुवर्ष महंगाई की औसत दर 5.21 प्रतिशत होने के बावजूद कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अधीन पेंशनभोगियों को प्रति माह पच्चीस सौ रुपए से कम पेंशन मिल रही है;

(ख) दिनांक 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार, इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनभोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) दिनांक 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार, इसमें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाते में ब्याज सहित कुल कितनी धनराशि जमा है;

(घ) इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाने के लिए कोश्यारी समिति की सिफारिशों की स्थिति क्या है; और

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना - 95 के अधीन पेंशनभोगियों की पेंशन की समीक्षा कब की जाएगी और इस संबंध में न्यूनतम पेंशन-राशि वस्तुत: कितनी होगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

'कर्मचारी पेंशन योजना - 95 के अधीन पेंशन दिया जाना' के संबंध में श्री रिपुन बोरा द्वारा दिनांक 01.08.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 151 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के अंतर्गत पेंशन की गणना ईपीएस, 1995 के उपबंधों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के आधार पर की जाती है जो प्रतिमाह 2500/- रुपये से अधिक अथवा कम हो सकती है। इसके अलावा, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत दिनांक 01.09.2014 से 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन निर्धारित की गई है।

(ख): दिनांक 20.07.2018 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेंशनभोगियों की कुल संख्या 62,42,807 है।

(ग): दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, अंकित मूल्य पर ऋण निवेशों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी भविष्य निधि (गैर-छूट प्राप्त क्षेत्र) के रूप में संचित निधि 6,11,354.42 करोड़ रुपये (अनंतिम गैर-लेखा परीक्षित) है। दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, लागत मूल्य पर इक्विटी एवं संबद्ध निवेशों में कर्मचारी भविष्य निधि (गैर-छूट प्राप्त क्षेत्र) के रूप में संचित निधि 32,127.415 करोड़ रुपये (अनंतिम गैर-लेखा परीक्षित) है।

(घ): वित्तीय विवशताओं के कारण, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सदस्य की मजदूरी से सरकार के हिस्से के 1.16 प्रतिशत के अंशदान को बढ़ाकर प्रतिमाह 8.33 प्रतिशत करके ईपीएस पेंशनभोगियों की पेंशन को बढ़ाए जाने से संबंधित सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। तथापि, सरकार ने ईपीएस, 1995 के अंतर्गत, पेंशनभोगियों को दिनांक 01.09.2014 से प्रतिमाह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरु कर दिया।

(ङ): सरकार ने ईपीएस, 1995 के संपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा हेतु दिनांक 04.01.2018 के आदेश द्वारा अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में अन्य सहित सदस्यों के रूप में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता प्रतिनिधियों से युक्त उच्च-अधिकारप्राप्त निगरानी समिति गठित की है। इस समिति को अपनी सिफारिशें सरकार को 03.10.2018 तक प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया है।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. ∗265
जिसका उत्तर शुक्रवार 10 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

मुकदमों पर होने वाले व्यय में कमी किए जाने के संबंध में सरकार की योजना

∗265. श्री पी. एल. पुनिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों एवं अधिकरणों में अब तक कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) क्या सरकार ने देश में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों एवं अधिकरणों में मामलों के बैकलॉग को कम किए जाने के संबंध में कोई पहल की है ; और

(ग) क्या सरकार ने आम/गरीब लोगों के लिए मुकदमों पर होने वाले व्यय में कमी किए जाने के संबंध में कोई योजना बनाई है तथा विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कानूनी सहायता के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *265 जिसका उत्तर तारीख 10 अगस्त, 2018 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर आकड़े क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा रखे जाते हैं । उच्चतम न्यायालय में तारीख 30.7.2018 को कुल 54996 मामले लंबित हैं । राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेबपोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, तारीख 07.08.2018 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों 43,61043 मामले लंबित हैं, और देश के विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, लक्षद्वीप और पुडूचेरी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र को छोड़कर) में तारीख 07.08.2018 तक 2,7673401 मामले लंबित हैं । विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे **उपाबंध** पर विवरण में दिए गए हैं । भारतीय विधि संस्थान (आई.एल.आई.) ने भारत में अधिकरणों के विलय (2016) की अपनी रिपोर्ट में 36 अधिकरणों की पहचान की है । वर्तमान में देश में कार्य करने वाले अधिकरणों और उनमें लंबित मामलों की सूची केन्द्रीयकृत वेब पोर्टल अर्थात् राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध नहीं है ।

सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे के लिए पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा स्थापित न्याय परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों को चरणवार समाप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अंगीकार किया है, जिसमें न्यायालयों की अवंसरचना में सुधार, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का प्रभावन (आईसीटी) और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना सम्मिलित है। अधीनस्थ न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न पहलों के अधीन विगत चार वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधारः-</u>

वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 6,380.57 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 2,936.27 करोड़ रूपए (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 46 % है) अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों

को जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से आज की तारीख तक बढ़कर 18,444 हो चुकी हैं और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर आज की तारीख तक 15,853 हो चुकी हैं । इसके अतिरिक्त 2,709 न्यायालय हाल और 1,472 आवासी इकाईयां निर्माणाधीन हैं । केन्द्रीय सरकार ने 3,320 करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्राक्कलित लागत के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2020 तक से आगे स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है ।

(ii) <u>बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावन:-</u>

वर्ष 2014 से 2018 के दौरान कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,089 हो चुकी है और 2,417 की वृद्धि दर्ज की गई है । राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से जिन्हें पहले ही कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है, मामला फाइल करने, मामले की प्रास्थिति और आदेशों तथा निर्णयों की इलैक्ट्रॉनिक प्रतियों के बारे में नागरिकों को ऑनलाइन सूचना उपलब्ध करवाता है । इस पोर्टल पर 10.15 करोड़ मामलों, जिसके अंतर्गत 2.75 करोड़ लंबित मामले भी हैं और 7.08 करोड़ से अधिक आदेशों/ निर्णयों के बारे में सूचना उपलब्ध है । मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को ई-न्यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय बेव पोर्टल न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध हैं । ई-न्यायालय परियोजना चरण 2 के दौरान 127.06 करोड़ संव्यवहारों की कुल संख्या के साथ देश की उच्चतम 5 मिशन मोड परियोजनाओं में लगातार बनी हुई है ।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना:-</u>

मई, 2014 से अगस्त, 2018 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 21 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, उच्च न्यायालयों में 351 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 317 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई, 2014 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई

है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या निम्नानुसार बढाई गई हैः-

तारीख	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013 को	19,518	15,115
31.03.2018 को	22,545	17,109

(iv) <u>बकाया समिति द्वारा /अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमीः</u> इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 24 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों ने लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए बकाया समिति का गठन किया गया है।

(v) <u>न्यायमित्र स्कीम:-</u> न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2017 में न्यायमित्र स्कीम प्रारंभ की। इस स्कीम के अधीन, 10 वर्ष से अधिक लंबित मामलों को तेजी से निपटाने को सुकर बनाने हेतु सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लगाया जाता है और न्यायमित्र के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है। पहले चरण में, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के 15 जिलों में 15 न्यायमित्र लगाए गए हैं।

(vi) <u>लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों को कम करना:-</u> वर्ष 2015 से 2017 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा कुल 140.63 लाख लंबित मामले निपटाए गए। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2017-2018 के दौरान नियमित लोक अदालतों में 86.14 लाख लंबित मामले और 103.73 लाख मुकदमा पूर्व मामले निपटाए गए। वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2017-2018 के दौरान स्थायी लोक अदालतों में लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित 3.21 लाख मुकदमा पूर्व मामले निपटाए गए।

- <u>अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर:</u> वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 तारीख 3 मई 2018 को प्रख्यापित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए बाध्यकारी पूर्व-संस्थापन मध्यकता क्रियाविधि आरंभ की गई है। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए लोक सभा द्वारा एक विधेयक तारीख 01.08.2018 को पारित किया गया है ।

- माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यमस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का संशोधन करके विहित समयसीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को पूरा किया गया हैं ।

- केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने अन्य बातों के साथ, माध्यस्थम संस्थान ग्रेड , मध्यस्थो को मान्यता देने और एडीआर के क्षेत्र में प्रशिक्षण में भाग लेने और पंचाट प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए एक स्वतंत्र निकाय अर्थात् भारतीय माध्यस्थम परिषद् (एसीआई) की स्थापना के लिए सिफारिश की है ।

- उच्च-स्तरीय समिति ने अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के उपक्रमों को ग्रहण करके नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र नामक राष्ट्रीय महत्व की संस्था को स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव की भी सिफारिश की है ।

(vii) <u>विशेष प्रकार के मामलों को त्वरित निपटान के लिए पहल:</u> चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ, वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से अंतर्वलित जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32 % से 42 % के कर न्यागमन की अभिवृद्धि के रूप में अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग करने का अनुरोध किया है । वर्तमान में, सम्पूर्ण देश में 727 ऐसे त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए बारह (12) विशेष न्यायालय ग्यारह (11) राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) में स्थापित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करने के लिए 'दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018' प्रख्यापित किया और इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए लोक सभा द्वारा एक विधेयक तारीख 30.07.2018 को पारित किया गया है ।

सरकार ने देश में आम नागरिकों के लिए सुलभ और सरल न्याय उपलब्ध करने हेतु अनेक उपायों को अपनाया है । सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों अर्थात् असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर राज्य में वर्ष 2012 से न्याय परियोजना की पहुंच को क्रियान्वित किया है ।

परियोजना के अधीन, इन राज्यों में कई विधिक सहायता और साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । सरकार ने यूएनडीपी के साथ भागीदारी में आठ राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र में वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक न्याय की पहुंच पर अन्य परियोजना को भी क्रियान्यवित किया है। परियोजना के अधीन पैनल वकीलों, परा विधिक स्वयंसेवियों, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण तथा भवन क्षमता के लिए आश्वस्त किया गया है ।

अप्रैल, 2017 में सरकार ने तीन नए विधिक सशक्तीकरण पहलुओं अर्थात् टेली-विधि, जनहित विधिक सेवा तथा न्याय मित्र को प्रारंभ किया है । टेली विधि स्कीम को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में यथाविनिर्दिष्ट सीमांत वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए देश के 11 राज्यों में 1800 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किया गया है । तारीख 31.07.2018 को 23,972 मामलों में विधिक सलाह प्रदान की गई है । जनहित विधिक सेवा स्कीम के अधीन 281 अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण किया गया है । न्याय मित्र दीर्घकालीन लंबित मामलों के निपटान में न्यायपालिका की सहायता करने के लिए अपेक्षित है तथा सीमांत वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सलाह प्रदान करने के लिए भी है । न्याय मित्र स्कीम के अधीन, 15 न्याय मित्रों को पहले चरण में 6 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा में लगाया गया है ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने देश में आम आदमी को सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं। अधिनियम के अधीन, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं। विधिक सेवा संस्थानों के अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां उच्च न्यायालय स्तर पर और उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, गठित की गई हैं। नि:शुल्क विधिक सेवाओं में न्यायालय की फीस का भुगतान, वकील प्रदान करना और पेपर बुक आदि की तैयारी सम्मिलित है।

जेलों, पर्यवेक्षक गृहों, किशोर न्याय बोर्डों और विधि स्कूलों में स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक, पैनल वकीलों और विधिक सेवा प्राधिकरण के परा-विधिक स्वयंसेवकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तारीख 31.03.2018 को देश में कुल 20,925 विधिक सेवा क्लीनिकों की स्थापना की गई है। नालसा ने ऐसे लोगों के विशिष्ट प्रवर्गों जो राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या पर्यावरणीय शर्तों के कारण औपचारिक विधिक प्रणाली से बाहर है, के लिए न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने हेतु

स्कीमों और कार्यक्रमों को भी विकसित किया है । वर्ष 2017-18 के दौरान, उनके द्वारा प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से 8.22 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विधिक सहायता के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई कुल राशि निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

स्कीम / सहायता-अनुदान	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
न्याय के लिए पहुंच -यूएनडीपी के सहयोग से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना [31.12.2017 तक]	6.19	6.45	6.39
न्याय के लिए पहुंच (एनइजेके)	3.29	5.82	3.94
नालसा को सहायता-अनुदान	67.97	63.67	100.00

****

उपाबंध

राज्य सभा तारांकित प्रश्न *265 **जिसका उत्तर तारीख** 10.08.2018 **को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

07.08.2018 **को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा**

क्र.सं.	**राज्य**	**कुल लंबित मामले**
1.	उत्तर प्रदेश	66,55,134
2.	महाराष्ट्र	34,47,043
3.	पश्चिम बंगाल	18,82,221
4.	बिहार	17,81,336
5.	गुजरात	15,49,139
6.	कर्नाटक	14,61,617
7.	राजस्थान	14,51,968
8.	मध्य प्रदेश	14,07,488
9.	केरल	12,54,124
10.	तमिलनाडु	10,84,583
11.	उड़ीसा	10,79,359
12.	दिल्ली	6,85,261
13.	हरियाणा	6,73,350
14.	पंजाब	6,01,523
15.	आंध्र प्रदेश	5,17,263
16.	तेलंगाना	4,88,587
17.	झारखंड	3,47,508
18.	असम	2,78,232
19.	छत्तीसगढ़	2,65,151
20.	हिमाचल प्रदेश	2,42,241
21.	उत्तराखंड	2,29,969
22.	जम्मू -कश्मीर	1,42,825
23.	गोवा	42,700
24.	चंडीगढ़	41,596
25.	त्रिपुरा	24,091
26.	अंदaमान और निकोबार	11,185
27.	मणिपुर	10,022
28.	मेघालय	6,931
29.	मिजोरम	3,970
30.	सिलवासा स्थित दादरा और नागर हवेली	3,509
31.	दीव और दमण	2,043
32.	सिक्किम	1,432
कुल लंबित मामले		**2,76,73,401**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 900

निजी ईपीएफ न्यास

900. श्री कपिल सिब्बल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) न्यासों सहित विगत चार वर्षों में उनकी दरों में आए परिवर्तनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत कंपनियों सहित अपंजीकृत कंपनियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनको पंजीकृत करने के लिए उठाये गये कदमों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन निजी ईपीएफ न्यासों जिनका ब्याज दर ईपीएफओ द्वारा विहित दरों से कम है का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए उठाये गये हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): दिनांक 19.07.2018 की स्थिति के अनुसार, 3805 प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के रूप में चिह्नित हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुबंध-क पर है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के न्यास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित ब्याज की दर से कम दर घोषित न करने के लिए सांविधिक रूप से बाध्य हैं। पिछले चार वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित ब्याज की दर निम्नवत है जो छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के न्यासों पर भी लागू होती है:-

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	घोषित ब्याज दर (% में)
1.	2014-15	8.75
2.	2015-16	8.80
3.	2016-17	8.65
4.	2017-18	8.55

(ख): जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 पूरे भारत में लागू है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 वर्तमान में निम्न पर लागू होता है:

(क) ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में संलग्न कारखाना हो और जिसमें 20 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हों; और

(ख) शासकीय राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रतिष्ठान अथवा ऐसे प्रतिष्ठान के वर्ग पर जिसमें बीस अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों।

2017-18 के संबंध में औसत अंशदान करने वाले प्रतिष्ठानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-ख पर है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकरण को बहुत आसान और साधारण बना दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। इस सुविधा में नियोक्ता से सभी ब्यौरे इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तथा पंजीकरण संख्या तत्काल आबंटित कर दी जाती है।

(ग): वर्ष 2016-17 के संबंध में ईपीएफओ द्वारा घोषित ब्याज दर की तुलना में जिन प्रतिष्ठानों ने कम ब्याज दर घोषित किया है उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	क्षेत्र (पूर्व)	सांविधिक दर से कम ब्याज दर घोषित करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और सिक्किम	07
2.	तमिलनाडू	01
3.	आंध्र प्रदेश	01
4.	केरल तथा लक्षद्वीप	01
	कुल	10

इसके अलावा, 331 प्रतिष्ठानों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में न्यासों द्वारा घोषित ब्याज दर सूचित नहीं किया था।

(घ): उपर्युक्त 10 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई है जिन्होंने ईपीएफओ द्वारा घोषित ब्याज दर से कम ब्याज दर घोषित की है:-

i. 03 प्रतिष्ठानों की छूट को रद्द कर दिया गया है और ये प्रतिष्ठान रद्दीकरण आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय में चले गए हैं तथा मामला न्यायाधीन है।

ii. 01 प्रतिष्ठान ने छूट वापिस कर दी है तथा एक गैर-छूटप्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन शुरू कर दिया है।

iii. 02 प्रतिष्ठानों ने न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित ब्याज में कमी की क्षतिपूर्ति कर ली है ताकि इसे ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 27कक के परिशिष्ट-'क' की शर्त संख्या 7 के अनुसार सांविधिक सीमा तक लाया जा सके।

iv. 03 प्रतिष्ठान ईपीएफओ के संबंधित फील्ड कार्यालय द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय में चले गये हैं।

v. 01 प्रतिष्ठान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

331 प्रतिष्ठानों, जिन्होनें अपने न्यासों द्वारा घोषित ब्याज दर की रिपोर्ट नहीं की थी, के संबंध में ईपीएफओ के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित कार्यालयो में मामलें की जॉच की गई थी तथा उन कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट की गई है कि 331 प्रतिष्ठानों में से 57 प्रतिष्ठानों ने 2016-17 के लिए ईपीएफओ द्वारा घोषित ब्याज दर के समान अथवा इस से अधिक ब्याज दर घोषित कर दी है।

** ******

<u>अनुबंध 'क'</u>

निजी ईपीएफ न्यास के संबंध में श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिनांक 25.07.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 900 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों की कुल संख्या		
क्रम संख्या	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	48
3	असम	27
4	बिहार	150
5	चंडीगढ़	40
6	छत्तीसगढ़	118
7	दिल्ली	193
8	गोवा	12
9	गुजरात	185
10	हरियाणा	153
11	हिमाचल प्रदेश	90
12	झारखंड	149
13	कर्नाटक	188
14	केरल	69
15	मध्य प्रदेश	64
16	महाराष्ट्र	718
17	मेघालय	2
18	ओडिशा	105
19	पुडुचेरी	1
20	पंजाब	70
21	राजस्थान	236
22	तमिल नाडू	217
23	तेलंगाना	82
24	उत्तर प्रदेश	245
25	उत्तराखंड	44
26	पश्चिम बंगाल	598
कुल		**3805**

*****

अनुबंध 'ख'

निजी ईपीएफ न्यास के संबंध में श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिनांक 25.07.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 900 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

औसत अंशदाता प्रतिष्ठान (2017-18)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंशदाता प्रतिष्ठान
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	453
आंध्र प्रदेश	19405
असम	7476
बिहार	6132
चंडीगढ़	6430
छत्तीसगढ	8216
दिल्ली	31164
गोवा	2971
गुजरात	48123
हरियाणा	25447
हिमाचल प्रदेश	7156
झारखंड	9484
कर्नाटक	48997
केरल	17296
मध्य प्रदेश	20727
महाराष्ट्र	94081
मेघालय	702
ओडिशा	14030
पुडुचेरी	1870
पंजाब	18423
राजस्थान	21312
तमिल नाडू	62248
तेलंगाना	25355
त्रिपुरा	746
उत्तर प्रदेश	37352
उत्तराखंड	6399
पश्चिम बंगाल	37125
कुल	**579120**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-901
बुधवार, 25 जुलाई, 2018/3 श्रावण, 1940 (शक)

रोजगार संबंधी आंकड़ा

901. श्री रवि प्रकाश वर्माः
श्री नीरज शेखरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़े के अनुसार सरकार ने दावा किया था कि इसने सितंबर, 2017 से मार्च, 2018 तक लगभग 70 लाख रोजगार पैदा किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि ईपीएफओ ने हाल ही में नामांकन संबंधी आंकड़े को संशोधित किया है और अब यह उक्त अवधि के दौरान काफी तेजी से कम हुआ है, जो रोजगार में सबसे ज्यादा कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): अप्रैल, 2018 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने वेब पोर्टल epfindia.gov.in के माध्यम से अपने योगदानकर्ताओं के माह-वार अनंतिम निवल पंजीकरण आंकड़े प्रकाशित कर रहा है। इन आंकड़ों को सितम्बर, 2017 से जारी किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐसा कोई रोजगार का आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया है, किंतु 20 जून, 2018 को ईपीएफओ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक भविष्य निधि योगदानकर्ताओं का नवीन निवल पंजीकरण 34,40,297 है।

(ग) और (घ): आंकड़े प्रकाशित करते समय, ईपीएफओ ने हमेशा यह प्रत्याख्यान किया है कि आंकड़े अनंतिम है, चूंकि योगदानकर्ताओं के रिकॉर्ड को अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है। हाल के महीनों के लिए नए प्रवेशकों के बारे में आंकड़ा तर्कसंगत हो जाता है जब नियोक्ता अगले महीनों के दौरान प्रासंगिक निकास डेटा रिटर्न दर्ज करते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 904

बुधवार, 25 जुलाई, 2018/ 3 श्रावण, 1940 (शक)

सामाजिक सुरक्षा कवर में सुधार लाना

904. श्री संजय राउत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन लोगों को, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की परिधि में नहीं आते हैं, पेंशन, चिकित्सा और बीमा सुरक्षा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इसे कब से शुरू किया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना को बढ़ाए जाने हेतु उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की दृष्टि से, असंगठित कामगारों को जीवन तथा नि:शक्तता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित मामलों में कल्याण स्कीमें प्रदान करने हेतु असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया है। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); स्वास्थ्य एवं प्रसूति योजनाएं (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन तथा नि:शक्तता कवरेज प्रदान करने हेतु आम आदमी बीमा योजना की सामाजिक सुरक्षा योजना को भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ मिला दिया है। वार्षिक प्रीमियम केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर वहन की जाती है। सरकार ने हाल में वर्ष 2018-19 के दौरान आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के शुभारम्भ (एबी-एनएचपीएम) को मंजूरी दे दी है जिसमें वंचन तथा व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित 10 करोड़ गरीब तथा कमजोर परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) कवर किए जाएंगे।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 905

बुधवार, 25 जुलाई, 2018/ 3 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफओ से भविष्य निधि (पीएफ) आहरण

905. **श्रीमती वानसुक साइम:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चस्तरीय भविष्य निधि आहरणों से चिंतित होकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यह प्रस्ताव किया है कि निजी क्षेत्र में कार्यरत इसके ग्राहकों को उनकी कुल जमा राशि की 60 प्रतिशत धनराशि आहरित करने की अनुमति दी जाए;

(ख) क्या सरकार द्वारा यह कदम भविष्य निधि ग्राहकों की सदस्यता को बनाए रखने और बेरोजगारी के समय उनकी सामाजिक सुरक्षा जरूरतों का समाधान करने के लिए उठाया गया है; और

(ग) क्या कानूनी विशेषज्ञों का यह स्पष्टत: मानना है कि इस कदम को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यह धनराशि उनके वेतन से लिया गया अंशदान है और वे इसे पूर्णरूपेण प्राप्त करने के हकदार हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने दिनांक 26.06.2018 को आयोजित अपनी 222 वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 68जज के अंत:स्थापन संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है, ताकि किसी सदस्य को निरंतर एक माह की अवधि के लिए रोजगार में न रहने पर अपने खाते में जमा कुल निधि के 75% आहरण के लिए सक्षम बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का पैरा 69(2) किसी सदस्य को उसके द्वारा आहरण हेतु आवेदन करने की तिथि के तत्काल पूर्व दो माह की निरंतर अवधि तक किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी न रहने पर निधि में उसके नाम से जमा पूरी राशि का आहरण करने हेतु समर्थ बनाता है। हालांकि, दो माह की प्रतीक्षा अवधि संबंधी अपेक्षा विवाह के प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठान की सेवाओं से त्यागपत्र देने वाली महिला सदस्यों के मामले में लागू नहीं होगी।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1683

बुधवार, 1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940(शक)

ईपीएफओ द्वारा अंशदान के बारे में सदस्यों को सूचित किया जाना

1683. श्री एन. गोकुलकृष्णन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यदि किसी माह में देय समय तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अंशदाताओं के नियोजकों द्वारा अंशदान जमा नहीं कराया जाता है तो ईपीएफओ अपने अंशदाताओं को सूचित करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय ईपीएफओ पंजीकृत सार्वभौमिक ईपीएफओ खाता नम्बर धारकों को एसएमएस/ई-मेल के जरिए केवल अंशदाताओं के खाते में अंशदान के जमा होने के बारे में ही सूचित करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। यदि दिए गए किसी माह की नियत तिथि तक सदस्यों के नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास अंशदान जमा नहीं कराया जाता है, तब 27 जून, 2018 से मई माह हेतु जून, 2018 में भुगतान के लिए अंशदान हेतु उन्हें एसएमएस/ई-मेल भेजे जाने प्रारंभ हो गए हैं। 20 जुलाई, 2018 तक सदस्यों को कुल 4,98,056 एसएमएस/ई-मेल भेजे गए है।

(ग) और (घ): यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-ऐज गवर्नेंस (उमंग) एप्प में, जहां ईपीएफओ की विभिन्न सेवाओं को भी जोड़ दिया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य के भविष्य निधि (पीएफ) शेष, दावा स्थिति, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की स्थिति इत्यादि संबंधी सूचना भी दी जाती है।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1685

बुधवार, 1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940(शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लावारिस धनराशि

1685. श्री प्रभात झा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2014 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में देश के गरीब श्रमिकों की बड़ी धनराशि बिना दावे के जमा थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपलब्ध उपर्युक्त लावारिस जमा राशि को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए विगत चार वर्षों के दौरान आवश्यक एवं समुचित कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वास्तविक लाभार्थियों को प्राप्त हुई है और शेष कब तक पहुंचा दिया जाना नियत है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): बिना दावे की धनराशि को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में परिभाषित नहीं किया गया है। तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कुछ धनराशियों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1687
बुधवार, 1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940 (शक)

रिक्तियों को भरने के लिए अत्यधिक फीस को वसूलना

1687. चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्रीमती छाया वर्माः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सरकारी रिक्तियों के लिए मंगवाए जाने वाले आवेदनों के साथ बेरोजगारों से अत्यधिक फीस वसूली जा रही है;

(ख) क्या ऐसी प्रवृत्ति, निजी क्षेत्र भी अपना रहा है जिससे बेरोजगारों के साथ विभिन्न प्रकारों का फर्जीवाड़ा हो रहा है;

(ग) क्या सरकार बेरोज़गारों से नई भर्तियों के लिए आवेदन मंगवाते समय संबंधित विभाग द्वारा अत्यधिक फीस नहीं वसूले जाने तथा इसके स्थान पर फीस नियुक्ति के समय लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी; और

(घ) गत 5 वर्षों में नई नौकरियों से कितने लोगों का ईपीएफ/जीपीएफ कटना प्रारंभ हुआ है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 100/- रु. से 200/- रु. तक परीक्षा शुल्क वसूलता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के संबंध में शुल्क को अंतिम बार 2006 में संशोधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी चयन आयोग अपने द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से 100/- रु. परीक्षा शुल्क वसूलता है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा हेतु शुल्क को अंतिम बार 2008 में संशोधित किया गया था। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं/दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।

निजी क्षेत्र द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) ईपीएफओ के अनुसार, विगत 5 वर्षों के दौरान ईपीएफ एक्ट, 1952 के तहत पंजीकृत सदस्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	सदस्य (करोड़ में)
2013-14	**2.90**
2014-15	**4.07**
2015-16	**1.29**
2016-17	**2.20**
2017-18	**1.74**

तथापि, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से सामान्य भविष्य निधि संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1693
बुधवार, 1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940 (शक)

पीएमआरपीवाई के अंतर्गत रोज़गार सृजन

1693. श्री कपिल सिब्बलः

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत सरकार ने अपने कार्यकाल के आरंभ से रोज़गार का सृजन किया है, यदि हां, तो लाभार्थियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार/क्षेत्र-वार/माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार यह विज्ञापन कर रही है कि पीएमआरपीवाई के माध्यम से हर महीने 5.5 लाख लाभार्थी शामिल किए जाएंगे, यदि हां, तो इस योजना के तहत जिन व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान किए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सभी क्षेत्रों के लिए सभी पात्र नए कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2018 से ईपीएस एवं ईपीएफ देने हेतु नियोक्ताओं के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान करके नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना आरंभ की गई है और यह अगले 3 वर्षों हेतु समस्त क्षेत्रों के लिए लागू है। इस योजना के अंतर्गत 25.07.2018 की स्थिति के अनुसार, लाभार्थियों की कुल संख्या 61.12 लाख है। राज्यवार, क्षेत्र/उद्योगवार और माहवार विवरण क्रमशः अनुबंध-।,।। और ।।। पर दिए गए हैं।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 01.08.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1693 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई के तहत राज्यवार लाभार्थी

राज्य	लाभार्थियों की कुल संख्या (संचित आंकड़े)
आंध्र प्रदेश	**488869***
असम	**5083**
बिहार	**72070**
चंडीगढ़	**83073**
छत्तीसगढ	**59164**
दिल्ली	**371122**
गोवा	**4934**
गुजरात	**560853**
हरियाणा	**512317**
हिमाचल प्रदेश	**72740**
झारखंड	**19578**
कर्नाटक	**569433**
केरल	**108813**
मध्य प्रदेश	**181825**
महाराष्ट्र	**1106087**
ओडिशा	**66947**
पंजाब	**106766**
राजस्थान	**233331**
तमिलनाडु	**710088**
उत्तर प्रदेश	**441945**
उत्तराखंड	**159097**
पश्चिम बंगाल	**178392**
कुल योग	**6112527**

* तेलंगाना भी शामिल है।

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 01.08.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1693 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई के तहत उद्योगवार लाभार्थी

उद्योग	लाभार्थियों की कुल संख्या (संचित आंकड़े)
विशेषज्ञ सेवाएं	**2348851**
वस्त्र	**485253**
ट्रेडिंग - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	**433983**
परिधान तैयार करना	**414055**
भवन और निर्माण उद्योग	**362944**
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सामान्य इंजिनियरिंग उत्पाद	**328327**
इंजीनियर्स – इजीनियरिंग ठेकेदार	**181308**
स्वच्छता, सफाई सेवाओं में कार्यरत प्रतिष्ठान	**103711**
बीड़ी बनाना	**102612**
अस्पताल	**97380**
वित्तपोषण प्रतिष्ठान	**92294**
विनिर्माण, विपणन सेवा, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में कार्यरत प्रतिष्ठान	**77016**
विद्यालय	**66099**
प्लास्टिक उत्पाद	**65234**
विश्वविद्यालय	**59505**
हेवी - सूक्ष्म रसायन	**56643**
अन्य	**54662**
चर्म उत्पाद	**51189**
होटल	**47616**
हीरे की कटाई	**45722**
सड़क परिवहन	**38989**
राष्ट्रीय बैंकों से इतर बैंक	**38220**
ऑटोमोबाइल सर्विसिंग	**38204**
रैस्तरां	**37784**
अन्य	**484926**
कुल	**6112527**

<u>अनुबंध-III</u>

राज्य सभा के दिनांक 01.08.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1693 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई के तहत लाभार्थियों की माहवार कुल संख्या

माह	लाभार्थियों की कुल संख्या (संचित आंकड़े)
अगस्त-2016	**0**
सितम्बर 2016	**0**
अक्टूबर 2016	**7**
नवम्बर-2016	**918**
दिसम्बर 2016	**1672**
जन 2017	**2422**
फरवरी-2017	**13102**
मार्च 2017	**33031**
अप्रैल-2017	**70812**
मई 2017	**117835**
जून-2017	**189268**
जुलाई-2017	**288175**
अगस्त-2017	**425636**
सितम्बर 2017	**634073**
अक्टूबर 2017	**912506**
नवम्बर-2017	**1293535**
दिसम्बर 2017	**1714852**
जन 2018	**2164602**
फरवरी-2018	**2678428**
मार्च 2018	**3060487**
अप्रैल-2018	**3941296**
मई 2018	**4624286**
जून-2018	**5371989**
जुलाई-2018 (25/07/18 की स्थिति के अनुसार)	**6112527**

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1701

बुधवार, 1 अगस्त, 2018/ 10 श्रावण, 1940 (शक)

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि

1701. श्रीमती वानसुक साइम:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च पेंशन और इक्विटी निवेश के संबंध में हाल ही में बैठक करने के उपरांत ईपीएफओ, सरकार न्यूनतम पेंशन को प्रतिमाह एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये करने पर विचार कर रही है, जिससे सरकार पर 3000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा;

(ख) क्या इससे ईपीएफ-95 योजना के तहत कुल 60 लाख अंशधारकों में से उन 40 लाख अंशदाताओं को लाभ मिल सकता है, जो अभी प्रति माह 1500 रुपये से कम पेंशन पा रहे हैं; और

(ग) 5 करोड़ अंशधारकों के लिए उच्च लाभ कमाने के लिए ईपीएफओ ने अभी तक 17 प्रतिशत से अधिक दर से लाभ देने वाली इक्विटी में 42,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक स्व-वित्तपोषित योजना है जिसमें नियोक्ता द्वारा मजदूरी के 8.33% की दर से और केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी के 1.16 % की दर से अंशदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसी संचित निधि से किया जाता है। निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और जब निधि की स्थिति बेहतर होती है तब अतिरिक्त राहत का भुगतान किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने व्यापक मांग को देखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया है यद्यपि, योजना में ऐसी किसी बजटीय सहायता का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2000/- रुपये प्रतिमाह करने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 26.07.2018 की स्थिति के अनुसार, 1500 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन का आहरण करने वाले पेंशनधारकों की संख्या 33,61,096 है।

(ग): 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में 14.5 प्रतिशत के दर से कल्पित (नोशनल) लाभ कमाने हेतु 48,696/- करोड़ रुपये का निवेश किया है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1703

बुधवार,1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफ के लिए ब्याज दर

1703. श्री आनन्द शर्मा:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपनी हाल ही की अधिसूचना में कर्मचारी भविष्य निधि के धारकों के लिए ब्याज दर को कम करके 8.55 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अधिसूचना का ईपीएफ धारकों और उक्त निधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने दिनांक 21.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ सदस्यों को 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की सिफारिश की है। अत: सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए 8.55 प्रतिशत की दर घोषित की है जो कि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)/जन भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी अन्य तुलनात्मक स्कीमों से काफी अधिक है।

(ख): संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ में कुल निवेश की गई निधि से होने वाली अनुमानित आय के आधार पर ईपीएफ की ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में ईपीएफ शेषों पर ब्याज दर का निर्धारण करते समय केन्द्र सरकार इस बात की स्वंय पुष्टि करती है कि सदस्यों के खातों में जमा ब्याज में से किए गए आहरण के परिणामस्वरुप उस खाते से कोई अधिआहरण न किया गया हो।

(ग): वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज अंशदाताओं के खातों में चालू मासिक आधार पर जमा किया जाता है। सदस्यों के खातों में जमा किए जाने वाली ऐसे ब्याज पर निधि की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, ब्याज के अनिवार्य भुगतान के साथ-साथ अंतिम भुगतान/अग्रिम भुगतान उस सीमा तक निधि में कमी लाता है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1705

बुधवार,1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940 (शक)

सामाजिक सुरक्षा निधि के तहत कर्मचारी

1705. श्री टी. रतिनावेल:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत ने सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा निधि के तहत जनवरी, 2018 में 604557 कर्मचारियों को जोड़ने के बाद फरवरी, 2018 में 472075 कर्मचारियों को जोड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आंकड़े दर्शाते हैं कि गत 6 महिनों के दौरान प्रत्येक माह रोजगार में काफी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): अप्रैल, 2018 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने वेब पोर्टल epfindia.gov.in के माध्यम से अपने अभिदाताओं के माह-वार अनंतिम निवल नामांकन आकड़े प्रकाशित करता रहा है। आकड़े सितम्बर, 2017 के बाद से जारी किए जाते हैं।

अप्रैल, 2018 में ऐसे प्रथम प्रकाशन में, सितम्बर, 2017 से फरवरी, 2018 की अवधि के आकड़े ईपीएफओ वेब पोर्टल पर डाले गए थे जिनमें जनवरी तथा फरवरी, 2018 के लिए इसके अभिदाताओं की अनंतिम निवल नामंकान संख्या क्रमश: 6,04,557 तथा 4,72,075 दर्शायी गयी थी।

(ग) और (घ): उक्त प्रकाशित आकड़ों के अनुसार सितम्बर, 2017 से फरवरी, 2018 (छह माह) के दौरान भविष्य निधि (पीएफ) अभिदाताओं का निवल नया नामांकन 32,71,671 रहा था।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2489

बुधवार, 8 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (शक)

श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियां

2489. श्री प्रभात झा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 अक्टूबर, 2014 को केन्द्रीय सरकार द्वारा एक श्रमेव जयते कार्यक्रम आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं का कौशल विकास करने की राह को सुगम बनाना है ताकि भारत को आने वाले वर्षों में कुशल कर्मचारियों की वैश्विक जरूरत को पूरा करने का अवसर मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमेव जयते कार्यक्रम के तहत अब तक हासिल की गई उपलब्धियां लक्ष्य के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्तूबर, 2014 को आयोजित किया गया था जिसमें भारत सरकार द्वारा शुरू की जानी वाली पहलों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई ताकि उत्पादकता एवं रोजगार में वृद्धि, प्रक्रियाओं के अनुपालन में सहजता हो, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ औद्योगिक विकास हो सके। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए कोई वास्तविक एवं आर्थिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। प्राथमिक रूप से इस कार्यक्रम का लक्ष्य कुशल कामगारों की वैश्विक अपेक्षा को पूरा करने के लिए कौशल विकास को सरल और कारगर बनाना नहीं था।

श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली पहलें हैं: (i) अनुपालन में सहजता तथा स्व-प्रमाणन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम सुविधा पोर्टल शुरू करना (ii) केन्द्रीय क्षेत्र में निरीक्षण हेतु याद्दच्छिक चयन के लिए पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना की शुरुआत करना (iii) कर्मचारी भविष्य निधि के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से सुवाह्यता (iv) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए परिवर्तित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन (v) प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (vi) सन्निर्माण कामगारों के पूर्व ज्ञान को मान्यता देना (vii) सन्निर्माण कंपनियों के साथ परामर्श करते हुए एनसीवीटी के प्रमाणन द्वारा आधुनिक सन्निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण (viii) दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (ix) व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में आईटीआई स्नातकों द्वारा योग्यता प्रदर्शन एवं सम्मान समारोह का आयोजन (x) उद्योगों के साथ फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन (xi) कौशल पुरस्कार विजेता । उपर्युक्त कुछ पहलों के मामले में अब तक कुछ प्रगति हुई है, जो निम्नवत हैं:-

श्रम सुविधा पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत चार मुख्य संगठनों नामत: (i) मुख्य श्रमायुक्त (कें.) का कार्यालय (ii) खान सुरक्षा महानिदेशालय (iii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं (iv) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। पोर्टल प्रतिष्ठानों को आबंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) प्रदान करता है। केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम निरीक्षण पारदर्शी और जवाबदेह रूप में किए जाते हैं। निरीक्षण पूर्व-निर्धारित मानदण्ड के आधार पर याद्दच्छिक रूप में जनित किए जाते हैं। अनिवार्य, आपातकालीन और शिकायत आधारित निरीक्षण इस उद्देश्य से विशेष रूप से तैयार किए गए श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं और 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अपलोड की जाती है। पंजीकरण, निरीक्षण की प्रगति तथा विवरणी दर्ज करने को श्रम सुविधा पोर्टल में वास्तविक समय आधार पर अद्यतन किया जाता है।

इसकी शुरुआत से अब तक ईपीएफ के अंशदाताओं को पीएफ संबंधी लाभों की सुवाहयता सुनिश्चित करने के लिए 2.8.2018 की स्थिति के अनुसार 9.38 लाख प्रतिष्ठानों में कार्यरत 13.61 लाख अंशदाताओं को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान किए गए हैं।

कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए, सरकार ने नवंबर, 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय नामक नया मंत्रालय गठित किया है तथा तब से इसने देश में बढ़ते कार्यबल को नियोजनीय कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न कौशल विकास पहलें तैयार की हैं। “स्किल इंडिया” के उद्देश्य के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु एक प्रमुख स्कीम “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” आरंभ की है, देश के प्रत्येक जिले में कौशल प्रशिक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र(पीएमकेके) नामक आदर्श एवं आकांक्षापूर्ण कौशल केन्द्र स्थापित किए हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता संवर्धन स्कीम का पुनर्नयन किया है तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता के कार्यक्रम के अंतर्गत 34 अनौपचारिक क्षेत्रों से कामगारों को नामांकित किया है।

तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम(टीआईटीपी) के लिए भारत और जापान के बीच अक्तूबर, 2017 में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध के अंतर्गत अभ्यर्थियों को 3 से 5 वर्ष की अवधि तक जापानी कंपनियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, प्रशिक्षुओं से अपेक्षित है कि वे अपने मूल देशों(भारत) में लौट जाएं।

सरकार ने प्रायोगिक आधार पर भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र(आईआईएससी) आरंभ किए हैं। आईआईएससी में सन्निर्माण, स्वास्थ्य देखरेख, खुदरा, पर्यटन एवं सत्कार, अभिरक्षा, घरेलू कामगार, ऑटोमोबाइल तथा पूंजीगत माल के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले 14 परिचालन केन्द्र हैं। ये केन्द्र उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखण्ड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात राज्यों के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2494

बुधवार, 08 अगस्त, 2018/ 17 श्रावण, 1940 (शक)

श्रम कानूनों के अनुपालन के अंतर्गत एमएसएमई द्वारा विवरणियों का स्व-प्रमाणन

2494. डॉ. के.वी.पी. रामचन्द्र राव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रम कानूनों के अनुपालन के अंतर्गत कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपनी विवरिणयों को स्व:प्रमाणित करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत वर्ष के दौरान, राज्य-वार कितनी एमएसएमई ने ये स्व-प्रमाणन उपलब्ध कराए हैं;

(घ) क्या इस स्व-प्रमाणन में किसी प्रकार के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत मिली है और क्या चूककर्ता उद्यमों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार इन विवरणियों की सत्यता को किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है और इन उद्यमों में कार्य करने वाले कामगारों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्ट-अप्स के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षण को विनियमित करने हेतु स्व-प्रमाणन को ध्यान में रखते हुए एक सरलीकृत निरीक्षण योजना तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय श्रम प्रवर्तन एजेंसियों को परामर्शी जारी किए हैं।

(ग): ऐसे आंकड़ों का रख-रखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, स्टार्ट-अप्स को स्व-प्रमाणन की प्रस्तुति के लिए श्रम सुविधा पोर्टल का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। 06.08.2018 की स्थिति के अनुसार, 48 स्टार्ट-अप्स ने श्रम सुविधा पोर्टल पर अपना स्व-प्रमाणन प्रस्तुत कर दिया है।

(घ) और (ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय श्रम प्रवर्तन एजेंसियों को जारी परामर्शी का आशय स्टार्ट अप्स तथा एमएसएमई को इन श्रम कानूनों के अनुपालन के दायरे से छूट प्रदान करना नहीं है बल्कि एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र प्रदान करना है जो स्टार्ट अप्स तथा एमएसएमई के निरीक्षण को विनियमित करे ताकि स्टार्ट अप्स तथा एमएसएमई स्व-अनुशासित हो सकें और कानून का अनुपालन करें। इन उपायों का उद्देश्य स्व-विवेक के इस्तेमाल तथा स्वेच्छाचारिता के माध्यम से उद्यमियों का उत्पीड़न रोकना है। तथापि, जब भी श्रम कानूनों का उल्लंघन होगा दांडिक कार्रवाई की जाएगी । प्रत्येक श्रम अधिनियम का प्रवर्तन उस अधिनियम के अंतर्गत दी गई परिभाषा और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार किया जाता है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2499

बुधवार, 08 अगस्त, 2018/ 17 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफओ द्वारा नौकरी संबंधी आंकड़े का अधोगामी संशोधन

2499. श्री नीरज शेखर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जून 2018 में नौकरी संबंधी आंकड़ों में अधोगामी संशोधन के पश्चात दूसरी बार जुलाई 2018 माह के दौरान सितम्बर 2017 और अप्रैल 2018 के बीच की अवधि के लिए नौकरी संबंधी आंकड़े को संशोधित करते हुए और कम करके 9.6 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सृजित की गई नौकरियों की न्यूनतम और उच्चतम संख्या के साथ तत्संबंधी, माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त अवधि के दौरान ईपीएफओ आंकड़े में की गई झूठी प्रविष्टियों के विरुद्घ जांच शुरू करेगी और इस संबंध में जिम्मेवारी तय करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): अप्रैल, 2018 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने वेब पोर्टल epfindia.gov.in के माध्यम से अपने अभिदाताओं के माह-वार अनंतिम निवल नामांकन आकड़े प्रकाशित करता रहा है। आकड़े सितम्बर, 2017 के बाद से जारी किए जा रहे हैं।ईपीएफओ द्वारा 20 जुलाई, 2018 को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सितम्बर, 2017 से अप्रैल, 2018 तक भविष्य निधि (पीएफ) अभिदाताओं का निवल नया नामांकन 37,31,251 रहा है।

आंकड़े प्रकाशित करते समय ईपीएफओ ने हमेशा यह अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) दिया है कि आंकड़ें अनंतिम हैं चूंकि अभिदाताओं के रिकार्ड का अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2502

बुधवार, 08 अगस्त, 2018/ 17 श्रावण, 1940 (शक)

निजी क्षेत्र के संगठनों में ईपीएफ को बढ़ावा देना

2502. श्री पी. एल. पुनिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के मानदंडों का अनुसरण करने वाली कंपनियों की सूची क्या है;

(ख) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के संगठनों में कर्मचारी भविष्य निधि को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये गये है और देश में कितनी कंपनियों को इन मानदंडों के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के संगठनों में सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*****

वर्तमान महीनों के लिए नौकरी में नए आने वालों से संबंधी आंकड़े तर्कसंगत हो जाते हैं जब उत्तरवर्ती महीनों के दौरान नियोक्ता नौकरी छोड़ने वाले संगत आंकड़ों की विवरणियां दायर करते हैं।

20 जुलाई, 2018 को अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, सितम्बर, 2017 से अप्रैल, 2018 की अवधि के दौरान अक्तूबर, 2017 में न्यूनतम निवल नामांकन 2,96,410 तथा अप्रैल, 2018 में अधिकतम निवल नामांकन 6,76,147 है। माह-वार आंकड़े अनुबंध में हैं।

(ग) से (ङ): ईपीएफओ आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं द्वारा दायर अभिदाताओं संबंधी विवरणियों पर आधारित हैं। इस योजना में सतत रूप से विवरणियां दायर करने का प्रावधान है, और, अत: ये आंकड़े दायर की गई विवरणियों के आधार पर प्रत्येक माह में यौक्तिकृत/ संशोधित हो जाते हैं। आंकड़ों में संशोधन इस प्रक्रिया का हिस्सा है।

* ***

<u>**अनुबंध**</u>

ईपीएफओ द्वारा नौकरी संबंधी आंकड़ों के अधोगामी संशोधन के संबंध में श्री नीरज शेखर द्वारा दिनांक 08.08.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2499 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

माह	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत निवल नामांकन की संख्या
सितम्बर, 2017	529432
अक्तूबर, 2017	296410
नवम्बर, 2017	545331
दिसम्बर, 2017	375655
जनवरी, 2018	498068
फरवरी, 2018	442085
मार्च, 2018	368123
अप्रैल, 2018	676147
मई, 2018	743608

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2505

बुधवार, 8 अगस्त, 2018/17 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफओ और ईएसआईसी में पंजीकृत कर्मचारी

2505. श्री राज बब्बर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल निवल नामांकन कितना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ 2015, 2016, 2017 और 2018 वर्ष की 31 मार्च (अनंतिम) को बीमित व्यक्तियों (आईपीएस) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या अनुबंध 'क' पर है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ कुल निवल नामांकन आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें सभा के पटल पर रखा जाएगा।

* ******

<u>अनुबंध-क</u>

ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ नामांकित कर्मचारियों के संबंध में श्री राज बब्बर द्वारा 08.08.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31 मार्च को बीमित व्यक्तियों की संख्या			
		2015	2016	2017	2018 (अनंतिम)
1	आंध्र प्रदेश	553390	629810	1014140	1172295
2	तेलंगाना	1093000	1152270	1659190	1736641
3	असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा	127349	147500	201960	258741
4	सिक्किम	10871	11710	16260	20954
5	बिहार	130730	143610	201950	237663
6	चंडीगढ़	103300	109340	230160	230295
7	छत्तीसगढ़	271670	271850	423990	558416
8	दिल्ली	1184560	1280610	1946700	1876668
9	गोवा	165660	170580	288120	242765
10	गुजरात	967030	1030090	1473460	1578658
11	हरियाणा	1567090	1677020	2970810	2944334
12	हिमाचल प्रदेश	228380	235340	286390	314724
13	जम्मू-कश्मीर	88180	92960	244000	275780
14	झारखंड	245300	250630	319000	378245
15	कर्नाटक	2226010	2385840	3328960	3496099
16	केरल	775000	772210	929160	1091285
17	मध्य प्रदेश	511630	546800	792130	949705
18	महाराष्ट्र	2351860	2400290	4358990	4594149
19	ओडिशा	378270	399580	551170	676966
20	पुडुचेरी	99390	101260	116540	126585
21	पंजाब	803300	804430	1110650	1166445
22	राजस्थान	744890	789800	1258450	1398531
23	तमिलनाडु	2811560	2927030	3949400	4272917
24	उत्तर प्रदेश	1305150	1320180	1888150	2089849
25	उत्तराखंड	375810	414530	606770	688655
26	पश्चिम बंगाल	1225150	1296610	1796410	1953867
	कुल	20344530	21361880	31962910	34331232

******